dSi cSx }kjk

Hkkjr fuokZpu vk;ksx

fuokZpu lnu] v'kksd jksM] ubZ fnYyh &110001

la0 576@3@bZ oh ,e@2013@,l Mh vkj@¼,u lh Vh Mh½
fnukad 14 uoacj] 2013

lsok esa]
eq[; fuokZpu vf/kdkjh
jk"Vªh; jkt/kkuh {ks=]
fnYyhA

fo"k; % jkT; fo/kku lHkk ds fy, lk/kkj.k fuokZpu] 2013&byDVªkfud oksfVax e'khuksa dk iz;ksxA

egksn;]

आयोग के दिनांक 12 नवंबर, 2013 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में, मुझे आयोग के दिनांक 14 नवंबर, 2013 के निदेश सं0 576/3/ई वी एम/2013/एस डी आर (वि. स.–साधा. निर्वा. दिल्ली) को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 40–नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां मत के पेपर ट्रेल को मुद्रित करने के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सभी वोटिंग मशीनों में ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर लगाया जाएगा। दिल्ली के शासकीय राजपत्र में इस निदेश को तत्काल प्रकाशित करवाया जाए और आयोग के सूचनार्थ एवं रिकार्ड के लिए राजपत्र की दो प्रतियां अग्रेषित की जाएं।

2. उपर्युक्त निदेशों को, आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में लाया जाए।

3. कृपया पावती दें।

Hkonh;

¼,u- Vh- HkwfV;k½
voj lfpo

jkT; dk 'kkldh; jkti=
e! rRdky i!dk'kukFk

Hkkjr fuokpu vk;kx
fuokpu lnu] v'kkd jkM] ubl fnYyh &110001

fnukd 14 uoEcj] 2013

funs'k

576/3/ई वी एम/2013/एस डी आर (वि.स.–साधा. निर्वा. दिल्ली) :– यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क में यह प्रावधान है कि मतदान मशीनों के द्वारा मतों का देना और रिकार्ड करना ऐसी विधि से किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपनाने के लिए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961के नियम 49 क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिन्टर मत की पेपर ट्रेल की प्रिन्टिग के लिए वोटिंग मशीन के साथ जोड़ा जाए, ऐसा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उनके खण्डों में किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग निदेश दें, और

3. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 12.11.2013 की अपनी अधिसूचना सं0 576/3/ई वी एम/2013/एस डी आर के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें आयोग की दिनांक 09.11.2013 की अधिसूचना सं0 464/दिल्ली–वि.स./2013 के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों का देना और रिकार्ड करना वोटिंग मशीनों के द्वारा किया जाएगा।

4. अब, अतः, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 49 क के उक्त परन्तुक के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा–

(प) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की 40– नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें राज्य विधान सभा के पूर्वोक्त साधारण निर्वाचन में मतों के देने और रिकार्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वोटिंग मशीन के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिन्टर जुड़ा होगा;

(पप) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिन्टर के डिजाइन को ऐसे प्रिन्टर के रूप में अनुमोदित करता है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतों के देने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा।

आदेश से,

¼d`-,Q-foYÝM½
i`/kku lfpo